राज्य विद्युत बोर्डो की विद्युत-उत्पादन क्षमता में सुधार किया जाना

2348. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों की ताप विद्युत-उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 55,000 मेगावाट हैं किन्तु उनके द्वारा केवल 12000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है,

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्दिरा गांधी विकास और अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये एक अध्ययन में यह महसूस किया गया है कि इन बोर्डों के संचालन और प्रबन्ध व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाने की जरूरत है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना की रूप-रेखा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) 31/3/1995 की स्थितिनुसार राज्य बिजली बोर्डों की अधिष्ठापित क्षमता 52853.82 मेगावाट है, जिसमें से ताप विद्युत क्षमता 34397.79 मेगावाट हैं, और वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात 55% था।

(ग) और (घ) देश में रा0 वि0 बोर्डों की स्थापना तथा प्रबन्ध में व्यापक सुधारों के संबंध में इन्दिरा गांधी विकास और अनुसंधान संस्थान से मंत्रालय ने कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है । तथापि, उनकी कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन किया जाना सरकार की कार्यसूची में शामिल है और विश्व बैंक की पी पी एफ (परियोजना तैयार करने संबंधी सुविधा) के माध्यम से छः राज्यों में निदानात्मक अध्ययन की सहायता प्रदान करके इस दिशा में शुरूआत कर दी गई है।

Reopening of Old Trade Route to Tibet

2349. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Sikkim has presented a Memorandum to the Prime Minister and the Finance Minister to take up various issues with China including reopening of the oid trade route to Tibet through Nathula Pass so that the State may increase its commercial activities;

(b) if so, the details of demand contained in the Memorandum; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) The Memorandum submitted by the Chief Minister of Sikkim to Prime Minister deals with a number of issues including border trade with China.

Border trade with China was resumed in July 1992, across the Lipulekh Pass in the UP-Tibet sector of the India-China border. Trade across the Shipkila Pass in the Himachal Pradesh—Tibet sector of the India-China border started in July 1994. The volume of border trade between India and China was Rs. 22 lakhs in 1992, Rs. 41 lakhs in 1993 and Rs. 28 lakhs in 1994.

The issue of opening further trading points at Nathula (Sikkim) and Demchok (Ladakh) has been taken up with the Chinese side.

उत्तर प्रदेश में बैंक ऋणों का वितरण

2350. **श्री राजनाथ सिंह :**

श्रीमती मालती शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक किन-किन योजनाओं के लिये ऋण प्रदान किया जा रहा है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंको द्वारा गरीब लोगों को दिये जाने वाले ऋणों का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करेगी ताकि किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां न हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निम्नलिखित ऋण दिए जा रहे है,

(1) एकीकृत खाद्यान्न विकास एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम सहित फसल ऋण,

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) :

(3) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई),

(4) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एसएलआरएस) सहित विशेष संघटक योजना (एससीपी),

(5) विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें ऋण वितरण में कदाचार की कोई जानकारी नहीं है । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंको को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश हैं, (1) 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्र पन्द्रह दिन के भीतर तथा 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदन पत्र 8 से 9 हफ्तों के बीच निपटा दिए जाने चाहिए, (2) कमजोर वर्गों से प्राप्त होने वाले ऋण प्रस्ताव तत्काल निपटा दिए जाने चाहिए, (3) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को समुचित स्वीकृति अधिकार दिए गए है, ताकि अधिकांश ऋण आवेदन पत्र शाखा-पत्र स्वीकृत किए जा सकें, (4) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 10,000/- रुपए तक के अल्पवधि एवं दीर्घावधि ऋणों पर कोई मार्जिन न लें, (5) जहां चल आस्तियां सृजित हों वहां पर 15,000 रुपए तक के अल्पवधि एवं मीयादी ऋणों के लिये अतिभूमि नहीं ली जानी चाहिए ।

Assistance to Siaies by IFCI

2351. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Industrial Finance Corporation of India has been funding different States for the infrastructural development in the backward areas; and

(b) if so, the names of States which received financial assistance from IFCI during the last three years for the above purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) has reported that it provides financial assistance to infrastructure projects, including to those set up in backward areas, on the basis of agreed parameters for financing provided such projects are technically feasible, commercially viable and economically justifiable.

"(b) IFCI has further reported that during the past three years assistance in this regard has been sanctioned to eight states viz. Jammu & Kashmir, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Sikkim, Tamil Nadu and West Bengal.

Financial Assistance for Handloom Weavers

2352. SHRi O.S. MANIAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state whether Government propose to give financial assistance to handloom weavers, particulary in Tamil Nadu to help them get over the financial crisis during the current years.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): The Schemes being implemented by Government of India for the handloom sector are generally not state specific. All State Governments and Union Territories are eligible for assistance under these Schemes. The